

Most Urgent



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027

E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.4()परावि/आप्र/वा.जि.यो./2016-17/33

जयपुर, दिनांक: 11/11/2016

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष

विषय:—वार्षिक जिला आयोजना वर्ष 2016-17 के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि विदित है की विकेंद्रीकृत आयोजना के तहत वार्षिक योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। आयोजना विभाग द्वारा वार्षिक योजना 2016-17 के लिए सेक्टरवार आयोजना सीमा एवं योजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रपत्र विभागों को भिजवाये जा चुके है। जिला योजना से सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमो/योजनाओं एवं इनके लिए प्रावधित आयोजना सीमा को इस विभाग द्वारा चिन्हित कर संलग्न किया जा रहा है। जिनका सम्बन्धित विभाग द्वारा जिलेवार आवंटन किया जाना है ताकि तदनुसार ही प्रत्येक जिले के लिये वार्षिक जिला योजना का प्रारूप तैयार कराया जा सके।

वार्षिक जिला आयोजना वर्ष 2016-17 हेतु निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है:—

1. जिला योजनाओं के लिये चिन्हित योजनाओं/ कार्यक्रमों की निर्धारित सीलिंग राशि का जिलेवार आवंटन (जिले की अनुसूचित जाति /जनजाति एवं सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए पृथक-पृथक आवंटन)।
(उक्त सूचना विगत जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के लिए संलग्न प्रपत्रों के अनुसार सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी में साथ लानी है, सुलभ संदर्भ हेतु विभाग स्तर से गत वर्ष की तैयार की गई सूचना संलग्न है)
2. गत वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के तहत आपके विभाग को जिलेवार प्राप्त राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी में)

3. महिलाओं के हितार्थ कार्यों की वार्षिक जिलेवार उपयोजना।

सेक्टरवार सीलिंग का जिलेवार निर्धारण एवं वांछित सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु पंचायती राज मुख्यालय के जिला आयोजना प्रकोष्ठ में दिनांक 20.01.2016 से 22.01.2016 तक विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया है। अतः अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम अनुसार निर्धारित बैठक में विभाग के जिला योजना निर्माण से संबंधित अधिकारी को उपरोक्त वांछित सूचनाओं सहित भाग लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

इस संबंध में शासन संयुक्त सचिव, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग (दूरभाष संख्या 0141.2385027) एवं उप निदेशक, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग (मो.नं. 9314982174) से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संयुक्त निदेशक (मॉनीटरिंग) मॉनीटरिंग शाखा, पंचायती राज विभाग।
7. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार आयोजित बैठकों हेतु जल-पान की व्यवस्था करावें।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

वार्षिक जिला आयोजना वर्ष 2016-17 तैयार करने हेतु जिला आयोजना प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग में विभिन्न विभागों के साथ आयोजित बैठकों का कार्यक्रम:-

दिनांक	समय	विभाग का नाम
20.01.2016	प्रातः 10 से 11 बजे तक	कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जलग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग
	प्रातः 11 से 12 बजे तक	प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं क्राफ्ट, सतत एवं सर्व शिक्षा अभियान
	दोपहर 12 से 01 बजे तक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, एन.आर.एच.एम., निशुल्क जांच योजना, निशुल्क दवाई वितरण योजना, आर.एम.एस.सी.
	अपराहन 02 से 03 बजे तक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
	अपराहन 03 से 04 बजे तक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
	अपराहन 04 से 06 बजे तक	समेकित बाल विकास सेवा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग
21.01.2016	प्रातः 10 से 11 बजे तक	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भू-जल विभाग, जल संसाधन विभाग
	प्रातः 11 से 12 बजे तक	वन विभाग
	दोपहर 12 से 01 बजे तक	उद्योग विभाग
	अपराहन 02 से 03 बजे तक	पंचायती राज विभाग(स्वच्छता कार्यक्रम सहित),मिड-डे-मील
	अपराहन 03 से 04 बजे तक	ग्रामीण विकास (डांग, मंगरा, मेवात, क्षे.वि.कार्य, बी.ए.डी.पी., ग्रामीण जनसहभागी, एम.एल.ए.लैंड, स्वविवेक, IWMP, NRLM, SGSY, IAY, MNEGRA)
	अपराहन 04 से 05 बजे तक	सार्वजनिक निर्माण विभाग
	अपराहन 05 से 06 बजे तक	जनजाति क्षेत्रीय विभाग
22.01.2016	प्रातः 10 से 11 बजे तक	एम.पावर, राजस्थान आजीविका मिशन
	प्रातः 11 से 12 बजे तक	स्वायत्त शासन विभाग
	दोपहर 12 से 01 बजे तक	उर्जा विभाग
	अपराहन 02 से 03 बजे तक	पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग
	अपराहन 03 से 04 बजे तक	पर्यटन विभाग